न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–दतिया – R 350 I/13

इरशाद अली पुत्र श्री सादिक अली, निवासी– मौहल्ला हजारी कस्बा भाण्डेर, जिला–दतिया (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–दतिया

...... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/08–09 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.12.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक का काफी समय पूर्व से ग्राम हंसापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 139/1 मिन रकवा 14.66 हेक्टेयर भूमि जिसकी नोईयत नदी है, का व्यवस्थापन भू–राजस्व संहिता की धारा 203 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–53/04–05 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2005 द्वारा किया गया था।

2– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की थी। तत्पश्चात् प्रकरण में विधिवत् जांच कर पटवारी से स्थल रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि का व्यवस्थापन किया गया था। ग्राम के किसी व्यक्ति तथा ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के व्यवस्थापन पर आपत्ति नहीं की थी।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2005 के विरूद्ध शिवशंकर पुत्र नाथूराम द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 21/04–05 प्रस्तुत की गई थी। जो कि प्रचलनता के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी। अपील के प्रचलन के दौरान अपीलार्थी शिवशंकर पुत्र नाथूराम द्वारा एक आवेदन दिनांक 22.02.2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अपील वह आगे नहीं चलाना चाहता, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 350-एक/2013 जिला- दतिया

इरशाद अली विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- दतिया के प्रकरण क्रमांक 13/08-09/स्वमेवनिगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	